I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

भारत में ई-कोर्ट्स और न्याय तक पहुँच संवैधानिक और वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत न्यायपालिका के डिजिटल रूपांतरण का मूल्यांकन

धीरज प्रजापति [1*], श्री हरिशंकर कोरी [2]
[1] ए. के. एस. विश्वविद्यालय, विधि संकाय सतना, मध्य प्रदेश, भारत
[2] सहायक प्रोफेसर, विधि संकाय, ए. के. एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author: *धीरज प्रजापति

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20842160

सारांश

इक्कीसवीं सदी को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सदी कहा जाता है। डिजिटल तकनीक ने शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा न्याय प्रशासन सहित समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया है। भारतीय न्यायपालिका, जो लंबे समय से लंबित मामलों, न्यायिक विलंब, प्रक्रियागत जटिलताओं तथा न्याय तक सीमित पहुँच जैसी समस्याओं का सामना कर रही थी, ने भी डिजिटल परिवर्तन को अपनाते हुए ई-कोर्ट्स प्रणाली का विकास किया है। ई-कोर्ट्स परियोजना का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, न्यायालयों की कार्यकुशलता बढ़ाना तथा नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना ने न्यायालयों में ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रबंधन तथा वर्चुअल सुनवाई जैसी सुविधाओं का विकास किया। ब्ट्प्फ्-19 महामारी के दौरान इन तकनीकी व्यवस्थाओं ने न्यायिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह शोध लेख ई-कोर्ट्स प्रणाली के विकास, संवैधानिक आधार, वैधानिक संरचना तथा न्याय तक पहुँच पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 एवं 39।, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा नवीन डिजिटल डेटा संरक्षण व्यवस्था का परीक्षण किया गया है। शोध में यह पाया गया कि ई-कोर्ट्स प्रणाली ने न्यायिक पारदर्शिता, दक्षता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ाया है, किंतु डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता तथा तकनीकी अवसंरचना की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि यदि न्यायपालिका को मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र, उन्नत तकनीकी अवसंरचना तथा व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों से सशक्त किया जाए, तो ई-कोर्ट्स प्रणाली भारतीय न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, पारदर्शी एवं प्रभावी बना सकती है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 15-05-2026
- **Accepted:** 21-06-2026
- **Published:** 25-06-2026
- **IJCRM:**5(3); 2026: 1143-1145
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

धीरज प्रजापति, श्री हरिशंकर कोरी. भारत में ई-कोर्ट्स और न्याय तक पहुँच संवैधानिक और वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत न्यायपालिका के डिजिटल रूपांतरण का मूल्यांकनण. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):1143-1145.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: ई-कोर्ट्स, न्याय तक पहुँच, डिजिटल न्यायपालिका, वर्चुअल कोर्ट, ई-फाइलिंग, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, न्यायिक सुधार, डिजिटल शासन।

© 2026 धीरज प्रजापति, श्री हरिशंकर कोरी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

न्याय किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की आधारशिला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना का संकल्प व्यक्त करती है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक तथा नागरिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। किंतु न्यायिक प्रणाली तभी प्रभावी मानी जा सकती है जब नागरिकों को समयबद्ध, किफायती तथा सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।

भारत में न्यायपालिका विश्व की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्थाओं में से एक है। इसके बावजूद वर्षों से लंबित मामलों की संख्या, न्यायाधीशों की कमी, प्रक्रियागत विलंब तथा प्रशासनिक कठिनाइयों ने न्याय तक पहुँच को प्रभावित किया है। न्यायिक सुधारों की आवश्यकता को देखते हुए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग न्यायपालिका में प्रारंभ किया गया।

ई-कोर्ट्स परियोजना भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य न्यायालयों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर न्यायिक सेवाओं को नागरिकों के निकट लाना है। इस परियोजना के अंतर्गत न्यायालयों में डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन केस प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा वर्चुअल सुनवाई जैसी व्यवस्थाएँ विकसित की गई हैं।

COVID-19 महामारी ने डिजिटल न्याय प्रणाली के महत्व को और अधिक स्पष्ट किया। लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल न्यायालयों ने न्यायिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित की तथा यह सिद्ध किया कि भविष्य की न्यायपालिका तकनीक आधारित होगी।

2. शोध के उद्देश्य

1. भारत में ई-कोर्ट्स प्रणाली के विकास का अध्ययन करना।
2. ई-कोर्ट्स के संवैधानिक आधार का विश्लेषण करना।
3. न्यायपालिका के डिजिटल रूपांतरण का मूल्यांकन करना।
4. न्याय तक पहुँच पर ई-कोर्ट्स के प्रभावों का परीक्षण करना।
5. साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता संबंधी चुनौतियों का अध्ययन करना।
6. न्यायिक सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध पद्धति

यह शोध मुख्यतः Doctrinal एवं Analytical Research Method पर आधारित है।

1. प्राथमिक स्रोत
2. भारतीय संविधान, 1950
3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
5. Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
6. न्यायिक निर्णय
7. द्वितीयक स्रोत
8. पुस्तकें
9. शोध लेख
10. जर्नल
11. आयोगों की रिपोर्ट
12. सरकारी दस्तावेज
13. ई-कमेटी रिपोर्ट

4. भारत में ई-कोर्ट्स का विकास

भारत में ई-कोर्ट्स परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य न्यायालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाना तथा न्यायिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना था।

परियोजना के प्रथम चरण में न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया गया। द्वितीय चरण में ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) जैसी सुविधाएँ विकसित की गईं। वर्तमान में तृतीय चरण के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित न्यायिक सहायता, पेपरलेस कोर्ट तथा उन्नत डिजिटल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है।

5. संवैधानिक एवं वैधानिक ढाँचा

1. अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार

ई-कोर्ट्स सभी नागरिकों को समान रूप से न्यायिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

2. अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय ने त्वरित न्याय को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना है।

3. अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का निर्देश देता है।

4. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं डिजिटल हस्ताक्षरों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है।

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्वीकार्यता का कानूनी आधार प्रदान करते हैं।

6. न्याय तक पहुँच पर प्रभाव

ई-कोर्ट्स प्रणाली ने न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाया है।

प्रमुख लाभ

1. ऑनलाइन केस स्थिति
2. ई-फाइलिंग
3. वर्चुअल सुनवाई
4. लागत में कमी
5. समय की बचत
6. ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच

ई-कोर्ट्स प्रणाली ने विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को लाभ पहुँचाया है।

7. प्रमुख न्यायिक निर्णय

- State of Maharashtra v. Dr. Praful B. Desai (2003)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही को वैध माना गया।

- Anvar P.V. v. P.K. Basheer (2014)

धारा 65B प्रमाणपत्र की आवश्यकता को मान्यता दी गई।

- Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal (2020)

© 2026 धीरज प्रजापति, श्री हरिशंकर कोरी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर महत्वपूर्ण निर्णय।

- Justice K. Puttaswamy v. Union of India (2017)

निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया।

- Swapnil Tripathi v. Supreme Court of India (2018)

लाइव स्ट्रीमिंग को न्यायिक पारदर्शिता से जोड़ा गया।

8. चुनौतियाँ

(क) डिजिटल विभाजन

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एवं तकनीकी संसाधनों की कमी।

(ख) साइबर सुरक्षा

डेटा चोरी, हैकिंग एवं रैनसमवेयर हमलों का खतरा।

(ग) डेटा गोपनीयता

न्यायिक रिकॉर्ड की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

(घ) तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव

अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है।

9. भविष्य की संभावनाएँ

1. Artificial Intelligence आधारित Case Management
2. Blockchainआधारित रिकॉर्ड सुरक्षा
3. Online Dispute Resolution (ODR)
4. Paperless Courts
5. Multilingual Digital Justice Platform

10. निष्कर्ष

ई-कोर्ट्स प्रणाली भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसने न्यायिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं सुलभ बनाया है। यद्यपि साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण एवं डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, तथापि उचित नीतिगत एवं तकनीकी उपायों द्वारा इनका समाधान संभव है। भविष्य में ई-कोर्ट्स प्रणाली भारतीय न्यायपालिका को अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

संदर्भ सूची

1. Jain MP. Indian Constitutional Law. New Delhi: LexisNexis Butterworths Wadhwa; 2018.
2. Shukla VN. Constitution of India. Lucknow: Eastern Book Company; 2021.
3. भारत सरकार. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2000.
4. भारत सरकार. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2023.
5. Singh Y. Cyber Laws. Allahabad: Universal Law Publishing Co.; 2019.
6. Sharma V. Information Technology Law and Practice. New Delhi: Universal Law Publishing Co.; 2022.
7. Supreme Court E-Committee. E-Committee Reports. New Delhi: Supreme Court of India; विभिन्न वर्ष.
8. National Judicial Data Grid. National Judicial Data Grid Reports. New Delhi: Department of Justice, Government of India; विभिन्न वर्ष.
9. NITI Aayog. ODR (Online Dispute Resolution) Policy Report. New Delhi: NITI Aayog; 2021.
10. Law Commission of India. Law Commission of India Reports. New Delhi: Law Commission of India; विभिन्न वर्ष.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

धीरज प्रजापति ए. के. एस. विश्वविद्यालय, विधि संकाय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत से संबंधित है। उनकी शैक्षणिक रुचि संवैधानिक विधि, मानवाधिकार, विधिक अनुसंधान एवं न्यायिक अध्ययन में है। वे विधि शिक्षा, शोध लेखन तथा समकालीन कानूनी विषयों पर अध्ययन एवं अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

श्री हरिशंकर कोरी ए. के. एस. विश्वविद्यालय, विधि संकाय, सतना, मध्य प्रदेश में सहायक प्रोफेसर हैं। उनकी विशेषज्ञता विधि शिक्षा, संवैधानिक कानून, न्यायशास्त्र एवं विधिक अनुसंधान में है। वे शिक्षण, शोध, अकादमिक प्रकाशनों तथा विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के माध्यम से विधि शिक्षा एवं अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

© 2026 धीरज प्रजापति, श्री हरिशंकर कोरी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/